उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R3/कार्य परिषद/202
Date 21/09/2021

सेवा में,

1. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा।
2. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. श्री पवन अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5. प्रोफेसर पी०के० पाठक, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (नामित प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
6. प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, सम कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि-कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
14. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
15. श्रीमती पूनम आर्या, सहायक कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
16. श्री जगमोहन सिंह मेहरा, सहायक कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
17. श्री धीरज कुमार उपाध्याय, सहायक कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 15 सितम्बर, **2021 (बुधवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **31वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(प्रोफेसर एच0एस0 नयाल)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी – 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel.: 05946-286 000 • **Toll Free No.:** 1800 180 4025 • **Fax:** 05946-264 232 • **E-mail:** info@uou.ac.in • **Website:** www.uou.ac.in

दिनांक 15 सितम्बर, 2021 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद् की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, — सदस्य
   भौतिक विज्ञान विभाग,
   सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 परीसर,
   अल्मोड़ा।

3. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, — सदस्य
   लेखा एवं विधि विभाग,
   वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग,
   आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।

4. प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, — सदस्य
   सम कुलपति,
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।

5. प्रोफेसर पी0के0 पाठक, — सदस्य
   निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी
   (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)

6. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, — सदस्य
   निदेशक,
   प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, — सदस्य
   निदेशक,
   समाज विज्ञान विद्याशाखा,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

8.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	डॉ0 एच0एस0 नयाल, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
11.	प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	आमंत्रित सदस्य
12.	प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक , उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
13.	श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
14.	श्री विमल कुमार मिश्रा, उपकुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
15.	श्रीमती पूनम आर्या, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
16.	श्री जगमोहन सिंह मेहरा, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

17. श्री धीरज कुमार उपाध्याय,
सहायक कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

COVID-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उल्लिखित बैठक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों के परिपालन में सम्पन्न हुई। कार्य परिषद् के बाह्य सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्ड्रस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी एवं श्री पवन अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टीश्यूज लि0 काशीपुर द्वारा अतिआवश्यकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। आन्तरिक सदस्य प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा उक्त बैठक में **Google Meet** के माध्यम से ऑन-लाइन प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद् तथा बैठक में उपस्थित समस्त बाह्य/आन्तरिक सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद् की 31वीं बैठक में स्वागत किया गया। तदुपरान्त कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर एल0एन0 कोली, प्रोफेसर पी0के0 पाठक एवं प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती का स्वागत करते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया गया कि COVID-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके द्वारा बैठक में स्वंय उपस्थित होकर प्रतिभाग किया गया है । मा0 कुलपति जी द्वारा एक बार पुन: समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद् की 31वीं बैठक में स्वागत किया गया तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद् द्वारा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद् द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 31.01- कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/30/2021, दिनांक **25.05**.2021 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी प्रस्ताव में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य परिषद् द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 31.02- कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्ताव संख्या-30.01 से 30.18.01 तक प्रत्येक प्रस्ताव पर हुई कृत कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया। तद्क्रम में कार्य परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही से सहमत होते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 31.03- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 25.08.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर निदेशक अकादमिक द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 25.08.2021 की संस्तुतियों के क्रम में विश्वविद्यालय में प्रबन्ध अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान एवं पर्यटन से संबंधित पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु AICTE से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन कर दिया गया है। AICTE से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश प्रारम्भ किये जायेंगें।

उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 25.08.2021 की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.04- 'विश्वविद्यालय कल्याण कोष' (University Welfare Fund) के संचालन के लिए नियमावली निर्मित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा **'विश्वविद्यालय कल्याण कोष' (University Welfare Fund)** के संचालन के लिए नियमावली निर्मित किये जाने हेतु समिति गठित किये जाने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया। तद्क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 05.07.2021 को प्रोफेसर पी0डी0 पंत, आचार्य भूगर्भ विज्ञान/परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियॉ कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह व्यवस्था दी गयी कि विश्वविद्यालय कल्याण कोष के संचालन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का भली-भांति अवलोकन कर लिया जाय। समिति की संस्तुतियों को कार्य परिषद् के सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रचालित/ प्रसारित कर सुझाव/सहमति प्राप्त कर लिये जायें। यदि उक्त संस्तुतियों पर कार्य परिषद के सदस्यों से कोई संशोधन/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी सूचना यथा समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाय, तांकि आगामी कार्य परिषद् की बैठक में प्राप्त संशोधनों/सुझावों पर विचार किया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 31.05-विधि परामर्शी, माननीय कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त 03 सहायक प्राध्यापकों की सेवा जोड़े जाने के संबंध में प्रेषित पत्र की सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत यू0जी0सी0 विनियम 2018 के पैरा 10.0 "Counting of Past Services for Direct Recruitment and Promotion under CAS" के अनुसार पुरानी सेवा को समाहित (जोड़े) किये जाने के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियॉ अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 में प्रस्तुत की गयी थीं। समिति की संस्तुतियों के उपरान्त डॉ0 मंजरी अग्रवाल, डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक आचार्य, प्रबंध अध्ययन एवं डॉ0 कमल देवलाल, सहायक आचार्य, भौतिकी द्वारा पुरानी सेवा जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त इन्हें विनियम 2018 में उद्धत शर्तों के आलोक

कुलसचिव
[illegible] एवं विश्वविद्यालय
[illegible] (नैनीताल)

में अर्ह नहीं पाया गया। शिक्षक हित में कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से गठित समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन देते हुए स्पष्ट किया गया कि उक्त 03 सहायक आचार्यों के प्रकरण पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC) से भी विधिक राय (Legal Opinion) प्राप्त कर ली जाय, विधिक राय प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल को पत्र प्रेषित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित द्वारा प्राप्त पत्र कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में प्रस्तुत किया गया। मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा सुस्पष्ट आख्या प्राप्त न होने पर सर्वसम्मति से प्रकरण माननीय कुलाधिपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने की सस्तुति की गयी।

तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विधि परामर्शी, माननीय कुलाधिपति से प्राप्त प्रतिउत्तर में उपसचिव, श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2021 के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधि परामर्शी केवल माननीय राज्यपाल को विधिक परामर्श देने हेतु नियुक्त होते हैं। अत: संबंधित प्रकरण पर विधि परामर्शी श्री राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय को विधिक परामर्श दिया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में डॉ0 मंजरी अग्रवाल एवं डॉ0 कमल देवलाल द्वारा माननीय कुलाधिपतिजी को प्रकरण अग्रसारित किये जाने हेतु पुन: एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल को अग्रसारित कर पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्तानुसार प्रकरण से कार्य परिषद् अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 31.06- विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग के सृजित पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 24.08.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर अवधारित स्टाफिंग पैटर्न को कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 में प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्तुति की गयी, कि शिक्षणेत्तर वर्ग के सभी संवर्गों में स्टाफिंग पैटर्न (Staffing Pattern) अवधारित किये जाने हेतु एक समिति गठित कर ली जाय, जिस हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति की दिनांक 24 अगस्त, 2021 को द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग के सृजित पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लगाये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यवाही से संबंधित संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव पर कार्य परिषद् द्वारा अवलोकन किये जाने के पश्चात् सर्वसम्मति से यह व्यवस्था की गयी कि गठित समिति की संस्तुतियों की प्रति सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी जाय **(संलग्नक-क)** तथा सदस्यों से प्रकरण पर प्राप्त सुझाव/संशोधनों को आगामी कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित कर दी जाय।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 31.07- डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी, सहायक आचार्य, होटल प्रबन्धन के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी, सह-आचार्य, होटल प्रबन्धन का इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में **Associate Professor (Tourism and Hospitality Management Services)** पद पर चयन होने के फलस्वरूप माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक **10.08**.2021 से दिनांक 09.08.2022 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद् की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से कुलपतिजी के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.08- डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र द्वारा डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल से कार्यमुक्त होकर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने एवं डॉ0 पालीवाल के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र का डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान) पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर चयन होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार पूर्व में दिनांक 15.12.2018 से दिनांक 28.02.2019, दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 14.12.2019 दिनांक 15.12.2019 से दिनांक 14.12.2020 तथा दिनांक 15.12.2020 से दिनांक 14.12.2021 तक असाधारण (अवैतनिक) अवकाश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया है।

डॉ0 दीपक पालीवाल द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल से संयुक्त निदेशक (संविदा) पद से दिनांक 12.08.2021 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 13.08.2021 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया।

डॉ0 दीपक पालीवाल का इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह-आचार्य, समाजशास्त्र पद पर चयन होने के फलस्वरूप मा0 कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक **18.08**.2021 से दिनांक 17.08.2022 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद् की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से कुलपतिजी के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 31.09- विश्वविद्यालय में नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारीकरण के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की नियोजन अवधि के संबंध में कार्य परिषद् की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 में प्रत्येक छ: माह में विभागाध्यक्ष से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर एक दिन के सेवा व्यवधान देकर अधिकतम 02 वर्ष तक कार्य विस्तार दिये जाने तथा 02 वर्ष के उपरान्त परीक्षण कम मूल्यांकन समिति (Screening Cum Evaluation Committee) के माध्यम से कार्य विस्तार दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छ: माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि **दिनांक 30 जून, 2021** को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागाध्यक्षों से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 जुलाई, 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021** तक (छ: माह) सेवा विस्तारित की गयी है। साथ ही कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छ: माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागाध्यक्ष से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 सितम्बर, 2021 से दिनांक 28 फरवरी, 2022** तक (छ: माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

उक्तानुसार कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उपर्युक्त निर्णय से शासन को भी अवगत कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या 31.10- विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त 03 सहायक कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के 04 पदों हेतु साक्षात्कार सम्पन्न हुआ।

विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-689/XXIV-C-1/2020-01(04)/ 2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शुद्धि पत्र संख्या-806, दिनांक 21.08.2020 के

कुल सचिव

अनुसार प्रतिनियुक्ति संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समस्त प्रक्रिया एवं प्रतिनियुक्ति हेतु संस्तुत कार्मिक का नाम शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियॉ शासन को प्रेषित की गयी। तद्क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-336(1)/ XXIV-C-1/2021-01(04)2020, दिनांक 25 जून, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु सहायक कुलसचिव के रिक्त पद वेतनमान रू0 35400-112400 लेवल-6 उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2006 में निहित प्राविधानानुसार 03 कार्मिकों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक कुलसचिव के पद पर शासन द्वारा तैनात किया गया है, शासन द्वारा नियुक्त निम्नांकित सहायक कुलसचिवों द्वारा विभिन्न तिथियों में विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है:-

क्रम संख्या	नाम/पदनाम/विभाग	सहायक कुलसचिव के पद पर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री धीरज कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ सहायक, उत्तरखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।	07.07.2021
2.	श्रीमती पूनम आर्या, वरिष्ठ सहायक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	24.07.2021
3.	श्री जगमोहन सिंह महरा, सांख्यिकी सहायक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	24.07.2021

उक्तानुसार सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों को पूरित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही एवं शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों से कार्य परिषद् अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 31.11- सहारनपुर इलैक्ट्रिस प्रैस एवं अन्य द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित समय के उपरान्त पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप संबंधित प्रैस द्वारा प्रस्तुत बीजकों में कटौती किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कार्य परिषद् को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की स्वंय की प्रिटिंग प्रैस न होने के कारण विभिन्न बाह्य प्रिटिंग प्रैसों से पुस्तक मुद्रण का कार्य लिया जाता है, जिस हेतु निविदा के माध्यम से विश्वविद्यालय की सेवा-शर्तों के अनुरूप उपयुक्त पायी जाने वाली संस्था के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाता है। यदि संबंधित प्रैस द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तो अनुबन्ध के अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि कई बार प्रिटिंग प्रैसों द्वारा विश्वविद्यालय की मांगानुसार विलम्ब से पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही है जिससे शिक्षार्थियों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जो शिक्षार्थी हित

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

में उचित नहीं है। इस संबंध में कतिपय प्रिंटिंग प्रैसों द्वारा विश्वविद्यालय को विलम्ब से पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का कारण कोविड-19 महामारी संक्रमित होना बताया गया है तथा कोरोना महामारी के दृष्टिगत संबंधित प्रैस द्वारा प्रस्तुत बीजकों में कोई कटौती न किये जाने का अनुरोध पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है।

उक्तानुसार कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण सम्पूर्ण विश्व में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बार के लिए बीजकों में 10 प्रतिशत की कटौती में छूट प्रदान की जाय, किन्तु भविष्य के लिए इसे नजीर न माना जाय। मुद्रकों द्वारा प्रस्तुत बीजकों पर 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाय तथा शेष 10 प्रतिशत भुगतान के संबंध में तथ्यों की जॉच हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाय। गठित समिति की संस्तुतियों के उपरान्त ही रोके गये 10 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या 31.12- विश्वविद्यालय में नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं अधिकारियों को विभिन्न संस्थाओं/ परियोजनाओं का नोडल अधिकारी बनाये जाने की सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय में नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं अधिकारियों को निम्नानुसार विभिन्न संस्थाओं का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है:-

क्रम संख्या	नाम/पदनाम	संबंधित संस्था का नाम जिसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है
1.	प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा	नोडल अधिकारी Network Scheme of NIC, Uttarakhand नोडल अधिकारी, सोलर पावर प्लान्ट व विभिन्न संस्थाओं के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने हेतु
2.	प्रोफेसर पी0डी0पन्त, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक	नोडल अधिकारी, ई–निविदा
3.	डॉ0 गगन सिंह, सह–आचार्य, वाणिज्य	**Nodal Public Grievance Officer** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य नियामिक संस्थाओं के अर्न्तगत संचालित Public Grievance Portal के समस्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु नोडल अधिकारी, यू0जी0सी0
4.	डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन	नोडल अधिकारी (SWAYAM PRABHA) नोडल अधिकारी, डिजी लॉकर
5.	डॉ0 एम0एम0 जोशी, सह–आचार्य, इतिहास	नोडल अधिकारी 'भारत का अमृत महोत्सव'
6.	डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सहायक आचार्य, वानिकी	नोडल अधिकारी (नमामि गंगे)

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

7.	श्री अनिल कंण्डारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक	नोडल अधिकारी, (KAMP)
8.	श्री विमल कुमार मिश्रा, उपकुलसचिव	नोडल अधिकारी, GeM
9.	श्री राजेन्द्र क्वींरा, अस्सिटेंट प्रोफेसर(ए.सी.)	नोडल अधिकारी, बसानी गॉव
10.	डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह–आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान	नोडल अधिकारी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली नोडल अधिकारी, ए0आई0एस0एच0ए0
11.	श्री विनोद बिरखानी, प्रशासनिक परामर्शदाता	नोडल अधिकारी Knowledge Management
12.	डॉ0 सीता, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान	नोडल अधिकारी, Naitional Digital Library
13.	श्री जितेन्द्र द्विवेदी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर	नोडल अधिकारी , समाधान पोर्टल
14.	डॉ0 डिगर सिंह, सह–आचार्य, शिक्षाशास्त्र	नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना
15.	डॉ0 अरविंद भट्ट, सह–आचार्य, गणित	नोडल अधिकारी, पुस्तकालय
16.	डॉ0 प्रवेश कुमार, सह–आचार्य, जन्तुविज्ञान	नोडल अधिकारी, रेडक्रास उत्तराखण्ड शाखा
17.	श्रीमती पूनम आर्या, सहायक कुलसचिव	नोडल अधिकारी, स्वच्छता

उक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा तालिका में क्रम संख्या-1 पर अंकित नोडल अधिकारी NIC के स्थान पर ICT Enable Services किये जाने का सुझाव दिया गया जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्ताव से कार्य परिषद् अवगत हुई तथा तालिका में अंकित क्रम संख्या-8, 9 एवं 11 का कोई औचित्य न होने के कारण इन्हें हटाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.13- विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकता के दृष्टिगत बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने पर विचार-विमर्श।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा सुलभ कराने वाला प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के प्रदेश में लगभग 126 अध्ययन केन्द्र स्थापित हैं, इन अध्ययन केन्द्रों के अनुश्रवण हेतु गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल में 08 क्षेत्रीय निदेशालयों की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तर के **कुल 90** पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें है, इन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या लगभग **90,222** है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रवेश, उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन में विश्वविद्यालय में नियोजित कार्मिकों की महती भूमिका होती है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षणेत्तर वर्ग में तृतीय श्रेणी के पदों के न्यून होने एवं चतुर्थ श्रेणी में आउटसोंसिंग के माध्यम से कार्य व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत विद्याशाखाओं/विभागों/अनुभागों द्वारा मानव संसाधन की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर मांग पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। साथ ही कुलपति आवास, अतिथिगृह, बहुउद्देशीय भवन, साइंस ब्लाक आदि की निर्माणाधीन परियोजनाएं संचालित हैं। इस कारण कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत माली, स्वच्छक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, विद्युतकार, प्लम्बर, वाहन चालक एवं तृतीय श्रेणी कार्मिकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्धित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानव संसाधन की आपूर्ति किया जाना विश्वविद्यालय प्रशासनिक हित में आवश्यक है।

कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार कुशल/अकुशल एवं बहुउद्देशीय कार्मिकों की आपूर्ति हेतु वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से करने की व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराये जाने पर सहमति हुई।

प्रस्ताव संख्या 31.14-विश्वविद्यालय के शिक्षकों की 65 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/2020/3 (1)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संबंध में विचार-विमर्श।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः परिनियम 33(1)व(2) में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु के संबंध में निम्न व्यवस्था वर्णित है:-

अधिवर्षिता की आयु

33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के पैंसठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिवर्षिता की आयु के संबंध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-152/XXX (2)/2020/3(1)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में अधिवर्षिता आयु सामान्य अधिवर्षिता आयु से अधिक अर्थात् 62 वर्ष या उससे अधिक हो, ऐसे कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति किसी भी दशा में न दी जाय का उल्लेख किया गया है। अधिवर्षिता की आयु के संबंध में उक्तानुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, में भिन्नता होने के कारण प्रकरण कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कार्य परिषद् द्वारा अधिवर्षिता की आयु के संबंध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-152/XXX (2)/2020/3(1)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि यह शासनादेश विश्वविद्यालय से आच्छादित नहीं है। अत: अधिवर्षिता की आयु के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था ही मान्य होगी पर अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.15- विश्वविद्यालय के मुद्रण कार्यों हेतु पैनल में अनुबन्धित मुद्रकों द्वारा बीजक उपलब्ध कराये जाने पर बीजकों की स्टॉक एण्ट्री करने के उपरान्त तत्काल 80 प्रतिशत भुगतान किये जाने पर विचार-विमर्श।

प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुद्रकों द्वारा बीजक उपलब्ध कराये जाने पर बीजकों की स्टॉक एण्ट्री करने के उपरान्त शीघ्र ही 80 प्रतिशत भुगतान मुद्रकों को किये जाने एवं शेष 20 प्रतिशत का भुगतान तथ्यों की जॉच हेतु प्रस्ताव संख्या-31.11 में गठित समिति की संस्तुतियों के उपरान्त ही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.16- परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद हेतु दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न साक्षात्कार हेतु गठित समिति की संस्तुतियों से कार्य परिषद् को अवगत कराना तथा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक (वेतनमान-144200-218200 एकेडमिक लेवल 14) का एक पद सृजित है जिसके रिक्त होने के फलस्वरूप कार्यवाहक व्यवस्था के तहत प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा द्वारा अतिरिक्त कार्यदायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

परीक्षा नियंत्रक पद को पूरित किये जाने हेतु विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/ 006/2020-2021, 12 मार्च, 2021 के माध्यम से विज्ञापित किया गया। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष कुल 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरान्त 08 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये। अर्ह अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 03/09/2021 को साक्षात्कार सम्पन्न किया गया। चयन समिति की संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

उक्तानुसार कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अवलोकन किया गया तथा चयन समिति की संस्तुति के आलोक में चयनित अभ्यर्थी प्रोफेसर सोमेश कुमार के चयन पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार- **"परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"**

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

के क्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए संस्तुति की गयी कि परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी प्रोफेसर सोमेश कुमार द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 31.17- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 31.17.01- डॉ0 हेमन्त काण्डपाल, सहायक आचार्य, आयुर्वेद के प्रकरण पर कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20.04.2021 में पारित निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि डॉ0 हेमन्त काण्डपाल, सहायक आचार्य, आयुर्वेद के विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण पर कार्य परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक कार्यों हेतु नियोजित अधिवक्ता से विधिक राय (Legal Opinion) लिये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्य परिषद् के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण पर विधिक कार्यों हेतु नियोजित अधिवक्ता से विधिक राय ली गयी जिसमें अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार उक्त प्रकरण अनुशासनिक समिति को संदर्भित किये जाने पर विधिक राय प्रदान की गयी है।

उक्तानुसार अधिवक्ता द्वारा दी गयी विधिक राय के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित अनुशासनिक समिति की दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्य परिषद् के अवलोकन एवं विचार हेतु प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण पर कार्य परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि छ: माह की अवधि के लिए डॉ0 हेमन्त काण्डपाल को कुलसचिव कार्यालय से सम्बद्ध किया जाय। इस अवधि में डॉ0 काण्डपाल द्वारा उपस्थिति पंजिका में आवश्यकीय रूप से हस्ताक्षर किये जायँ तथा छ: माह बाद पुन: प्रकरण की समीक्षा की जाय। वेतन आहरण के संबंध में अन्तिम चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए तद्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय, यदि डॉ0 काण्डपाल द्वारा निर्गत चेतावनी पत्र के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो उन्हें Leave Without Pay किया जा सकता है। पूर्व के वेतन आहरण के संबंध में तथ्यों की जॉच हेतु एक समिति गठित कर ली जाय, समिति गठित किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 31.17.02- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ऑडिट पैरा निस्तारण हेतु गठित विभागीय ऑडिट समिति (विश्वविद्यालय स्तर पर) में वांछित संशोधन के संबंध में।

प्रस्ताव पर वित्त नियंत्रक द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2015-16 से 2016-17 एवं 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ऑडिट समिति की बैठक आहूत करायी जानी है। ऑडिट प्रकोष्ठ की नियमावली में विश्वविद्यालय स्तर पर ऑडिट समिति में महालेखाकार, उत्तराखण्ड की ओर से 01 सदस्य सम्मिलित है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या-यूओयू/वित्त/2019/1161/5988, दिनांक 27.11.2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा में इंगित आपत्तियों के निस्तारण हेतु विभागीय लेखा परीक्षा समिति में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड की ओर से 01 सदस्य नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्तानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के प्रतिउत्तर में उपमहालेखाकार/एएमजी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि- **"लेखा परीक्षकों को सामान्यत: प्रबंधन समितियों का सदस्य नहीं बनना चाहिए जिनके विचार स्थापना, प्रशासन, बजट आबंटन, परियोजना चयन, परियोजना क्रियान्वयन आदि के मामलों में कार्यकारी निर्णय में सहायता कर सकते हैं।" चूंकि विश्वविद्यालय की बाह्य लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जाती है, प्रस्तावित समिति की बैठक में प्रधान महालेखाकार की लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों/प्रस्तरों पर चर्चा नहीं की जानी है। अत: उक्त लेखा परीक्षा विनियम के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में प्रधान महालेखाकार के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया जाना समीचीन नहीं होगा।**

महालेखाकार के उक्त पत्र का सन्दर्भ देते हुए समस्त संलग्नकों सहित एक पत्र उपसचिव, शिक्षा अनुभाग-1 (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या-यूओयू/वित्त/2019/8598, दिनांक 18.02.2021 तथा संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या-यूओयू/वित्त/2019/72/8670, दिनांक 06.03.2021 के माध्यम से विभागीय लेखा परीक्षा समिति में वांछित संशोधन किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। किन्तु शासन स्तर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के कारण पुन: उपसचिव, शिक्षा अनुभाग-1 (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड शासन को अनुस्मारक पत्र दिनांक 26.08.2021 प्रेषित किया गया। शासन स्तर से विभागीय लेखा परीक्षा समिति में संशोधन न होने के कारण विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। कार्य परिषद् के संज्ञान में यह भी लाया गया कि ऑडिट प्रकोष्ठ की नियमावली में विभागीय लेखा परीक्षा समिति (विश्वविद्यालय स्तर पर) में महालेखाकार के एक सदस्य के स्थान पर लेखा परीक्षा ऑडिट प्रकोष्ठ के एक सदस्य का सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन अपेक्षित है।

उक्तानुसार कार्य परिषद् द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठक विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित कर ऑडिट प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण से प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा को अवगत कराते हुए वांछित संशोधन करा लिये जायें तथा कुलपतिजी के माध्यम से शासन स्तर पर वार्ता कर समाधान किया जाये।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 31.17.03- विश्वविद्यालय में पूर्व से नियोजित शिक्षणेत्तर कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के संबंध में विचार-विमर्श।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद् को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर संवर्ग में सृजित आउटसोर्स के पदों पर बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से लगभग 10-11 वर्षों से नियोजित कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग के नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

कार्य परिषद् द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि, चूंकि पद शासन द्वारा सृजित किये जाते हैं अतएव इस प्रकरण पर शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अत: प्रकरण पर शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया जाय। यदि शासन से शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किये जाने की अनुमति प्राप्त होती है तो, तदक्रम में ही विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही की जा सकती है।

बैठक के अन्त में कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 आर0 सी0 मिश्र द्वारा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि गोपनीयता के दृष्टिगत कार्य परिषद् की बैठक में परिनियम में वर्णित कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों के अतिरिक्त आमंत्रित सदस्य के रूप में केवल विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक को ही आमंत्रित किया जाय। यदि किसी बिन्दु पर अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है तो तदसमय उन्हें बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद्

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद्

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संलग्नक क

कार्यवृत्त

कार्यालय आदेश संख्या 315 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 24 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नाकित द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट प्राध्यापक/सदस्य कार्य परिषद।
2. श्री एम0आर0 आर्या, सेवा निवृत्त अपर निदेशक
3. प्रो0 एच0एस0 नयाल कुलसचिव उ0मु0वि0वि0
4. श्रीमती रुचिता तिवारी वित्त नियंत्रक उ0मु0वि0वि0
5. प्रो0 एन0एस0 बनकोटी, उप निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय
6. श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव उ0मु0वि0वि0

1. समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों में सृजित पदों का संकलित विवरण प्रस्तुत किया। जिन पदों पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से स्टाफिंग पैटर्न लागू है अथवा समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था लागू है, के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त तत्सम्बन्धी शासनादेशों के आलोक में संलग्न विवरणानुसार स्टाफिंग पैटर्न/समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था शासन के अनुमोदन के उपरान्त लागू किये जाने की संस्तुति की गयी।(सलग्नक–01 से 03)
2. समिति के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के कुल 08 पद सृजित हैं तथा इन पदों पर स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था शासनादेशों में उपलब्ध नहीं है, और न ही इन पदों पर पदोन्नति की कोई व्यवस्था उपलब्ध है। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा इन पदों को सुनिश्चित कैरियर अभिवर्धन की योजना से आच्छादित करने की संस्तुति की गयी, समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।
3. विभिन्न वेतनमानों में अन्य सृजित पदों को संलग्नक–04 के अनुसार वर्गीकृत करने की संस्तुति की गयी।

24/08/2021

(विमल कुमार मिश्र)
उप कुलसचिव

(प्रो0 एन0एस0 बनकोटी)
उप निदेशक

(श्रीमती रुचिता तिवारी)
वित्त नियंत्रक

(प्रो0 एच0एस0 नयाल)
कुलसचिव

(एम0आर0 आर्या)
सेवानिवृत्त अपर निदेशक

(प्रो0 पी0एस0 बिष्ट)
प्राध्यापक/सदस्य कार्य परिषद

मिनिस्ट्रीरियल संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु स्टाफिंग पैटर्न का विवरण (संलग्नक–01)

क्रमांक	पदनाम	सावर्वे वेतनमान के अनुसार वेतनमान	सृजित पद	स्टाफिंग पैटर्न प्रतिशत	स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर संस्तुत पदों की संख्या	भर्ती का श्रोत
1	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	27	32	10	सीधी भर्ती
2	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05	2	28	8	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
3	प्रधान सहायक	35400–112400 लेवल 06	0	18	6	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
4	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400 लेवल 07	1	8	2	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 लेवल 08	0	8	2	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 लेवल 10	0	6	2	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
		योग	**30**	**100**	**30**	

नोटः–

1. शासनादेश संख्या 90/XXX(2)/2016-30(51)15 दिनांक 26 जुलाई 2016 द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप पदों की संस्तुति की गयी है।
2. शासनादेश संख्या 153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल 2015 द्वारा लागू पदनाम तथा सेवा अवधि के अनुरूप पदों की संस्तुति की गयी है।
3. स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के उपरान्त संवर्ग के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर अभिवर्धन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु स्टाफिंग पैटर्न का विवरण

संलग्नक–02

क्रमांक	वर्तमान पदनाम	छठे वेतनमान के अनुसार वेतनमान	सावर्वे वेतनमान के अनुसार वेतनमान	सृजित पद	स्टाफिंग पैटर्न प्रतिशत	स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर संस्तुत पदों की संख्या	भर्ती का श्रोत
1	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	29200–92300 लेवल 05	4	44	2	सीधी भर्ती
2	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	35400–112400 लेवल 06	1	35	2	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
3	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	44900–142400 लेवल 07	0	15	1	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदो पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा
4	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	56100–177500 लेवल 10	0	6	0	
			योग	**5**	**100**	**5**	

नोटः–
1. शासनादेश संख्या 204/XXVII(7)/25(3)/2013 दिनांक 25 अक्टूबर 2016 द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप पदों की संस्तुति की गयी है।
2. शासनादेश संख्या 149/XXX(2)/2018-30(10)2018 दिनांक 21 मई 2018 द्वारा लागू पदनाम तथा सेवा अवधि के अनुरूप पदों की संस्तुति की गयी है।
3. स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के उपरान्त संवर्ग के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर अभिवर्धन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

वाहन चालक संवर्गीय पदों पर उच्च वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति

संलग्नक–03

क्रमांक	पदनाम	सावर्वे वेतनमान के अनुसार वेतनमान	सृजित पद	सेवा अवधि
1	वाहन चालक ग्रेड–4	21700–69100 लेवल 03	3	सीधी भर्ती
2	वाहन चालक ग्रेड–3	25500–81100 लेवल 04	0	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4, जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
3	वाहन चालक ग्रेड–2	29200–92300 लेवल 05	0	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4, जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4	वाहन चालक ग्रेड–1	35400–112400 लेवल 06	0	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4, जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
5	वाहन चालक विशेष श्रेणी	44900–142400 लेवल 07	0	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4, जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
		योग	**3**	

नोटः–

1. शासनादेश संख्या 44/XXVII(7)/27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा लागू सवंर्ग पुनर्गठन के अनुरूप संस्तुति की गयी है।
2. शासनादेश संख्या 588/XXVII(7)/27(3)/2013 दिनांक 01 जुलाई 2014 द्वारा लागू पदनामें अनुरूप संस्तुति की गयी है।
3. स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के उपरान्त संवर्ग के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर अभिवर्धन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

विश्वविद्यालय में सृजित विभिन्न पदों का प्रस्तावित सेवा संवर्ग

संलग्नक–04

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान
	लेखा सेवा संवर्ग	
1	लेखाकार	35400–112400 लेवल 06
2	सहायक लेखाकार	29200–92300 लेवल 05
3	कैशियर	21700–69100 लेवल 03
	तकनीकी सेवा संवर्ग	
1	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0	56100–177500 लेवल 10
2	सिस्टम मैनेजर	67700–206700 लेवल 11
3	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	56100–177500 लेवल 10
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	56100–177500 लेवल 10
5	हार्डवेयर इंजीनियर	56100–177500 लेवल 10
6	कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100 लेवल 03
	निःसंवर्गीय सेवा संवर्ग	
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	56100–177500 लेवल 10
2	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 लेवल 10
3	सहायक स्टोर कीपर	19900–63200 लेवल 02
4	क्रय सहायक	19900–63200 लेवल 02
5	शोध अधिकारी	56100–177500 लेवल 10
6	जनसम्पर्क अधिकारी	56100-177500 लेवल-10